

4.11.25

वकील जर्जी उप .। प्रकरण में वकील जर्जी द्वारा
डिप्टी कमिश्नर राजस्व रिजर्व में अंकन होता था।
प्रतीति - पत्र में कार्रवाई शेष नहीं होने पर प्रतीति -
पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर ले कर होकर
डाटाबेस इफ्तदा हो।

कॉडिश निर 2025/276 हुआ गा।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMG
2025/276

